प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 04.05.2025

लूट का अपराध कारित करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट की पिस्टल व 04 अदद जिंदा कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चौरीचौरा के नेतृत्व में वरि0उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2025 धारा 309(6),352,351(2),351(3) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त देवानन्द पुत्र जनार्दन प्रसाद निवासी छोटी पंसरही थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर के कब्जे से लूट की 01 अदद पिस्टल व 04 अदद जिंदा कारतूस बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.05.2025 की रात्रि में अभियुक्त अपने साथियों के साथ वादी मुकदमा के पोखरे के पास खड़ा था, वादी मुकदमा द्वारा जब अभियुक्तों से खड़ा होने का कारण पूछा गया तो उनके द्वारा वादी मुकदमा को गाली गुफ्ता देते हुए मारा पीटा गया तथा वादी मुकदमा की लाइसेंसी पिस्टल को छीन कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये । जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

देवानन्द पुत्र जनार्दन निवासी छोटी पंसरही थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 215/2025 धारा 309(6),352,351(2),351(3),317(2) BNS व 3/25 Arms Act थाना चौरी चौरा गोरखपुर

बरामदगी-

एक अदद पिस्टल व चार अदद जिंदा कारतूस

गिरफ्तार की टीम-

1. वरि0उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 कृष्णकान्त थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।
3. का0 ओमप्रकाश थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर